

कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

::- आदेश -::

कमांक क्यू/परिपत्र/2020

रीवा, दिनांक 30/03/2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का सरकुलर नम्बर क्यू-5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 के क्रम में और वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को देखते हुए जिला न्यायालय रीवा एवं उनकी समस्त तहसीलों के दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 13.04.2020 की समस्त पेशियों को कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन के कारण (न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय तथा न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, बारहवें, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पास्को न्यायालय को छोड़कर) निम्नानुसार पेशियां नियत किया जाती हैं:-

कमांक	दिनांक	आपराधिक प्रकरण	सिविल प्रकरण
01	01.04.2020	19.05.2020	17.06.2020
02	03.04.2020	22.05.2020	19.06.2020
03	04.04.2020	23.05.2020	23.06.2020
04	07.04.2020	26.05.2020	26.06.2020
05	08.04.2020	29.05.2020	01.07.2020
06	09.04.2020	02.06.2020	07.07.2020
07	11.04.2020	05.06.2020	10.07.2020
08	13.04.2020	10.06.2020	14.07.2020

(पूर्व के क्रमांक)

नोट:- अर्जेंट विचाराधीन बंदियों के प्रकरण, धारा-164 द.प्र.सं., 1973 के अन्तर्गत कथन, आदेश तथा निर्णय को छोड़कर शेष मामलों में उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। उक्त सम्बन्ध में पक्षकारों को न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने अधिवक्ता महोदय एवं सी.आई.एस. से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(अरुण कुमार सिंह)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

रीवा, म0प्र0

पृष्ठा. कमांक क्यू/परिपत्र/2020

रीवा, दिनांक 30/03/2020

प्रतिलिपि,

1. न्यायालय/प्रभारी अधिकारी.....
रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योथर/हनुमना/मनगंवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योथर/हनुमना/मनगंवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0